रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (DN.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 1986/चैत्र 4, 1908
No. 151] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1986/CHAITRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

सा.का.नि. 533 (अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 128"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1986

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1986 है ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (i) के उपबन्धों के अनुसार,—

(क) 1 अप्रैल, 1985 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1984 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उनमें से प्रत्येक राज्य के द्वारा लिए और दिए गए नए उधारों खाते शुद्धब्याज दायित्व मद्दे, भारत को संचित निधि पर सहायता अनुदान के रूप में भारित होंगी :—

सारणी

राज्य	(रुपय लाखों में)
(1)	(2)
असम	2078.14
हिमाचल प्रदेश	175.49
जम्मू-कश्मीर	1584.54
मणिपुर	160.73
मेघालय	162.41

1	2
नागालैंड	219.25
उड़ीसा	1879.93
राजस्थान	2149.75
सिक्किम	42.05
त्रिपुरा	206.30
पश्चिमी बंगाल	2972.63

परन्तु यदि उस वर्ष के लेखा में प्रकट वास्तव में लिए और दिए गए उधारों के आंकड़े, या लिए गए उधारों पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिए गए सुसंगत आंकड़ों से भिन्न हैं तो इस प्रकार संदत्त अनुदान की रकम, ऐसी राशि या राशियों के प्रति जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही उत्तरवर्ती वर्षों मे उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएंगी ;

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रत्यक राज्य के राजस्व में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस राज्य के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, वर्ष 1984-85 में पूरी की गई आयोजना स्कीमों की बाबत अतिरिक्त दायित्वों मद् भारत की संचित निधि पर सहायता अनुदान के रूप में भारित होंगी :—

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
	(रुपए लाखों में)			
1. जम्मू-कश्मीर	22	15	6	—
2. नागालैंड	88	91	95	98
3. सिक्किम	54	57	61	64
4. त्रिपुरा	21	20	20	19

(2) किसी राज्य को, उप-पैरा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन संदेय राशि या राशियाँ, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसार उस राज्य का संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होगा ।

ज़ैल सिंह
राष्ट्रपति

[स. फा. 19(3)/86—वि. 1]
एम. रामय्या, सचिव ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1986

G.S.R. 533(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 128"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 1986

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1986.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India—

(*a*) in the financial year commencing on the 1st day of April, 1985, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1984, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State	(Rupees in lakhs)
(1)	(2)
Assam	2078.14
Himachal Pradesh	175.49
Jammu and Kashmir	1584.54
Manipur	160.73
Meghalaya	162.41
Nagaland	219.25
Orissa	1879.93
Rajasthan	2149.75
Sikkim	42.05
Tripura	206.30
West Bengal	2972.63:

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(*b*) in each of the financial years specified below, as grants-in-aid of the revenues of each of the States so specified, the sums specified against it towards additional liability in respect of Plan Schemes completed in the year 1984-85:—

State	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
			(Rupees in lakhs)	
1. Jammu and Kashmir	22	15	6	..
2. Nagaland	88	91	95	98
3. Sikkim	54	57	61	64
4. Tripura	21	20	20	19

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State shall be in addition to the sum or sums payable to that State in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1985.

ZAIL SINGH
President.

[No. F. 19 (3)/86—L.I.]
S. RAMAIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986